

सत्र 2015-16.

OR MARK
TAG

PAGE NO.
DATE

निर्धन छात्र सहायता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत महाविद्यालय की अति निर्धन छात्राएँ जिन्हें शासन की किसी अन्य योजना में कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, उन्हें शिक्षण में पुस्तकादि व्यय हेतु यह छात्रवृत्ति महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है।

इस छात्रवृत्ति हेतु प्रवेशित प्रति छात्रा नियमित छात्राओं से रु० 500 (पाँच) प्रति छात्रा निर्धन सहायता शुल्क लिया जाता है उसी से पात्र छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।




सत्र 2015-16 में इस वर्ष महाविद्यालय में प्रवेशित छात्राओं की संख्या कुल 910 है। जिनका प्रति छात्रा रु० 500 की दर से कुल राशि रु० 455000 - (चार हजार पाँच सौ पचास रु०) निर्धन छात्र सहायता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वितरण हेतु उपलब्ध

इस छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार निम्नलिखित छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं -

- ① कृतिका उपाध्याय - B.COM II sem.
- ② अलसना B.COM I sem.
- ③ उमाका B.A. II.
- ④ निशा त्यागी B.C.A. II
- ⑤ नीलम त्यागी B.A. IV sem.
- ⑥ प्रतिमा शुक्ला B.COM IV sem.
- ⑦ रागिनी त्रिपाठी B.B.A. V sem.

- ⑧ संध्या अग्रवाल B.A. V sem.
- ⑨ रचना पाठक B.A. V sem.

उपरोक्त आवेदनों का निरीक्षण करने पर उपरोक्त छात्रों निर्धन सहायता छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने की पात्र है। अतः इन्हें निर्धन छात्र सहायता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत रु० 505/- (पाँच सौ पाँच रुपये मात्र) प्रति छात्रा छात्रवृत्ति प्रदान करने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है।

 संयोजक (डॉ० मंजरी अग्निहोत्री)
  सदस्य (डॉ० जी० एल० जैन)
  प्राचार्य (डॉ० सुमन लखेजा)